विद्यार्थियों द्वारा प्राय पूँछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

(Frequently Asked Questions)

प्रश्नः– छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कहां करना है?

उत्तरः– छात्रवृत्ति हेतु सभी पात्र विद्यार्थी अपने प्रदेश सरकार की वेबसाइट (जो कि नीचे तालिका में दी गई है) अथवा भारत सरकार की वेबसाइट WWW.SCHOLARSHIPS.GOV.IN पर ऑनलाइन आवेदन करना है।

प्रश्नः– छात्रवृत्ति हेतु ऑललाइन आवेदन करने के उपरान्त क्या करना है?

उत्तरः– ऑललाइन आवेदन करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट निकालकर तथा उसके साथ सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित अपने सम्बधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित करवाकर प्रकोष्ठ में जमा करायेंगे।

प्रश्नः– छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म के कितने सेट बनाने होंगे?

उत्तरः– ऑललाइन आवेदन करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट निकालकर उसके 04 (चार सेट) बनाने होंगे, जिनमें से एक सेट छात्र के पास रहेगा तथा दो सेट अपने संकाय/विभाग के कार्यालय में जमा करेगा तथा एक सेट अग्रसारित करवाने के उपरान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ में जमा करेगा।

प्रश्नः– छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरते समय किन किन प्रमाण–पत्रों की आवष्यकता होगी?

उत्तरः– छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरते समय छात्र/छात्रा के पास हाइस्कूल की मार्कशीट, आय, जाति, निवास, अंतिम परीक्षा पास करने की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति विद्यार्थी की फोटो तथा अन्तराल से सम्बधित शपथपत्र Affidavit related to Gap in Education (यदि हो तो) आदि प्रपत्रों की मूल प्रति तथा उनकी स्कैन कॉपी होनी चाहिये।

प्रष्नः– किस राज्य के विद्यार्थी को कौन सी वेबसाइट पर आवेदन करना होगा?

उत्तरः– विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी वेबसाइट हैं जो कि निम्न प्रकार हैं

राज्य का नाम	विद्यार्थी की कैटेगरी	वेबसाइट
उत्राखण्ड	SC/ST/OBC/EWS(General)	www.scholarships.gov.in
उत्तर प्रदेश	SC/ST/General	www.scholarship.up.gov.in
राजस्थान	SC/ST/OBC/General	www.sso.rajsthan.gov.in
मध्य प्रदेश	SC/ST/OBC	www.scholarshipportal.mp.nic.in
तेलंगाना	SC/ST/OBC	www.telanganaepass.cgg.gov.in
बिहार	SC/ST/OBC	www.scholarships.gov.in
झारखण्ड	SC/ST/OBC	www.ekalyan.cgg.gov.in
अन्य सभी राज्य	SC/ST/OBC/General/Minority	www.scholarships.gov.in
अन्य सभी राज्यों के सैनिक/अर्द्धसैनिक, एकल कन्या या जो उपरोक्त श्रेणी में न आते हों		www.scholarships.gov.in

प्रष्नः— यदि आवेदन के समय कोई प्रमाणपत्र अपलोड नहीं हो पाया है तो क्या करें?

उत्तरः— सम्बंधित विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ से सम्पर्क करेगा तथा उसका ऑनलाइन आवेदनपत्र डिफेक्ट कर दिया जायेगा ताकि वह छात्र अपने प्रमाणपत्रों को अपलोड कर सके। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थी आय/जाति/निवास आदि प्रमाण पत्रों की नवीनीकृत कॉपी ही अपलोड करेगा किसी भी दशा में उस प्रमाण पत्र की वैधता तिथि निकल जाने के उपरान्त उस प्रमाण पत्र की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी। विद्यार्थी अपने पमाणपत्र अपलोड करने के उपरान्त पुनः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ को सूचित करेगा ताकि उसका अवेदन पत्र अग्रसारित किया जा सके।

प्रष्नः— प्रमाणपत्रों की वैधता कितनी होती है?

उत्तरः—मूल निवास एवं जाति प्रमाण की वैधता तिथि सदैव के लिये होती है जवकि आय प्रमाणपत्र की वैधता प्रमाणपत्र निर्गत होने के 6 माह (उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर जहां पर आय प्रमाणपत्र की वैधता 3 वर्ष तक की है) की होती है।

प्रष्नः— विद्यार्थी के कितने भाई—बहन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं?

उत्तरः— किसी भी विद्यार्थी का केवल एक ही भाई बहन और छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकता है अर्थात मातापिता की केवल दो ही संताने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकती हैं।

प्रष्नः— छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के उपरान्त क्या करना है?

उत्तरः— विद्यार्थी आवेदन करने के उपरान्त अपने आवेदन की स्थिति देखता रहेगा और उसके उनुरूप यदि कोई अवरोध दर्शाया जाता है तो उसका निराकरण करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित विद्यार्थी की होगी।